107

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /एक/2017 विविध 9046-I-17

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 07/02/17 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महेश कुमार पुत्र बालाप्रशाद गौड
निवासी – उकासघाट, तहसील गाडरवारा,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला नरसिंहपुर
..........प्रतिअपीलार्थी

विविध आवेदन पत्र वास्ते माननीय न्यायालय के प्र.क. 3204/एक/2016 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.10.17 में संशोधन किये जाने वावत। सहपठित धारा 32 म.प्र.भू. राजस्व सहिता 1959

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1– यह कि प्रश्नाधीन कृषि भूमि मौजा बिलौनी न.ब. 327 रा.नि.म.सिहोरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में स्थित सर्वे क्र. 1/2, 1/5 रकवा 1.967 हैक्टर, सर्वे 164/1, 164/3 रकवा 1.100 हैक्टर, सर्वे क. 165/1 रकवा 0.975 हैक्टर, कुल रकवा 4.042 हैक्टर भूमि का भूमि स्वामी है जो राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के नाम पर दर्ज है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय जिला नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच प्रतिवेदन पर कोई गंभीरता से विचार किये बगैर अपीलार्थी का भूमि विकय की अनुमति का आवेदन पत्र अपने आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.14 से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.01.17 से स्वीकार किया गया। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.17 आवेदक विकेता व केता के मध्य वर्ष 15.09.14 में हुये इकरारनामा का उल्लेख नही दिया गया है और नाही इकरारनामा में वर्णित राशि 20,00000/–बीस लाख रूपये प्राप्त कर लिये थें। तथा शेष धन राशि 24,47000/–चौबीस लाख रूपये वक्त रजिस्टी लेना है। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा क्रे पेज न. 4 पर शर्तो के साथ विकय की अनुमति दी गई है

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 9046–एक/2017 विविध जिला नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता.
8-2-17	यह विविध आवेदन न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 3204–एक/2016 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–17 में टंकण त्रृटि से हुई भूल होना बताते हुये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत भूल सुधार हेतु प्रस्तुत किया गयां है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रकरण कमांक 3204–एक/2016 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–17 का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि आदेश दिनांक 12–10–17 में विकय अनुमति देते समय विकेता एंव केता के बीच हुई संबिदा का उल्लेख आदेश नहीं किया है इसी प्रकार जब विकय अनुबंध वर्ष 2014 में हुआ है तथा राशि का लेन देन हुआ है उसका उल्लेख भी आदेश में करके तदाशय का सॅशोधन किया जावे। 4/ प्रकरण कमांक 3204–एक/2016 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–17 के कम में आवेदक के अभिभाषक व्दारा उठाई गई मॉग पर विचार किया गया। जब आवेदक विकेता एंव केता के बीच लिखित अनुबन्ध होकर विकय धन की ऑशिक पेशगी का करार हुआ है करार अनुसार विकय पत्र में उल्लेखित राशि अनुसार विकय पत्र संपादित करने के आदेश देने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है यदि विकेता अनुबंध से मुकरता है तब मामला केवल दीवानी न्यायालय में विचारित हो सकेगा। इसी प्रकार आवेदक के अभिभाषक की यह मॉग है कि जब विकय अनुबंध वर्ष 2014 में संपादित हुआ है तब विकय पत्र वर्ष 2014 की गाईड	

प्रकरण क्रमांक 9046-एक/2017 विविध लायन के मान से संपादित करने की शर्त आदेश दिनांक 12-10-17 में जोड़ी जाना चाहिये, जिसे जोड़ा जावे। आवेदक के अभिभाषक की यह मॉग भी उचित नहीं है क्योंकि जिस दिनॉक को विक्रय पत्र संपादित होगा, उसी वर्ष की शासन द्वारा निर्धारित गाईड लायन के मान से उप पंजीयक विक्रयपत्र संपादित करेंगे, जिसके कारण आदेश दिनॉक 12-10-2017 में सॅशोधन वावत् मॉग विचार योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर विविध आवेदन सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

सदस्य